राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 02/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. प्राधिकृत अधिकारी – बैंक ऑफ बडौदा रूपाहेली कलां भीलवाडा	**बनाम**	1. मैसर्स भाग्यश्री माईन्स एण्ड मिनरल्स, प्रो. श्री राज किशोर जैसवाल पुत्र दीपचन्द जैसवाल निवासी 644, भाम्बियों का मोहल्ला, गांव व पोस्ट आंगुचा तहसील हुरडा एवं पटटा नं. 138/24.05.2004, शिव मंदिर के पास, गांव व पोस्ट आंगुचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री आनन्द प्रकाश

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 20.06.2022

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा रूपाहेली कलां, भीलवाडा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 15,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 21.04.2015 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – श्री राजकिशोर जैसवाल पुत्र दीपचन्द जैसवाल एवं श्री घनश्याम जैसवाल पुत्र दीपचन्द जैसवाल की आवासीय सम्पत्ति पटटा नं. 138/24.05.2004 शिव मंदिर के पास, गांव व पोस्ट आंगूचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा, क्षेत्रफल 2322 वर्गफीट है, जो विपक्षी के स्वामित्व की हैं (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 29.12.2017 तक कुल बकाया ऋण की राशि 5,00,379.78/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 22.05.2017 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।